

प्रकरण संख्या 7/2017

चन्द्रदेवी पत्नी गोपाल बरोगे नाम 1. मोतीलाल जि. हीरालाल दाऊद वि. वरकपुर  
 विवाही. वरकपुर 2. सुकृष्णा पत्नी देवकरण दाऊद वि. वरकपुर  
 3. करनी 10 बररा दाऊद वि. वरकपुर

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०

- आदेश :-

दिनांक 12/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री चन्द्रदेवी पत्नी गोपाल दाऊद ने जरिये अभिभाषक श्री विश्वरामलाल काचाप ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम वरकपुर, प०ह० शीतगर तह० माण्डलगढ मे आराजीन०

315/7 तीन भा पड्ड वटा 7, 2कवा बीघा

किता 1 रकबा 1 बीघा - बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2026 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम वरकपुर की आराजी न० 315/7

रकबा 1 बीघा - बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 100/- /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 माण्डलगढ